प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 07 अप्रैल, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जयदत्त पुत्र श्री पुलन्दर सिंह, निवासी जनपद-इटावा वर्तमान औरैया की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-19613/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 25.04.2025, दिनांक 08.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बंदी जयदत्त पुत्र श्री पुलन्दर सिंह (दिनांक 07.12.2024 तक बन्दी की आयु लगभग 66 वर्ष) बदनपुर, थाना-बिधूना, जनपद-इटावा का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 20.12.1983 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भाला, मूसल व गदा से मारकर रामऔतार को घायल कर दिया जिसकी उपचार के दौरान दिनांक 26.12.1983 को मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या- 4/1985 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, इटावा के आदेश दिनांक 24.03.1987 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18.09.2019 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को लघुकृत कर 02 वर्ष कर दिया गया था। मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 19.01.2022 द्वारा मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को रिस्टोर कर दिया गया। बंदी द्वारा दिनांक 07.12.2024 तक अपरिहार 04 वर्ष, 02 माह, 29 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष, 02 माह, 20 दिन की मात्र सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, औरैया द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध किये जाने की आशंका व्याप्त होने, पुनः अपराध किये जाने की सम्भावना होने, रिहा होने पर पुनः अपराध कारित किये जाने की सम्भावना जाहिर किये जाने एवं बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बन्दी को मा० सत्र न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 07.12.2024 तक अपरिहार 04 वर्ष, 02 माह 29 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष, 02 माह 20 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा समयपूर्व रिहाई की सस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जयदत्त (बन्दी संख्या-121/2023) पुत्र श्री पुलन्दर सिंह, निवासी जनपद-इटावा वर्तमान औरैया की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-376/2026/1124 (1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिला मजिस्ट्रेट, इटावा/औरैया।
2- पुलिस अधीक्षक, इटावा/औरैया।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, इटावा।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।